हुक्म या कार्यवाही

20/12/19 वकील वादी इतरिया प्रतिवादीगण को तलबीना पुनः पेश नहीं किया है। अतः अब आवश्यक कदम से लिया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 11-12-19 का पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

11/12/19 वकील वादी इतरिया प्रतिवादीगण को तलबी का पेश नहीं किया है। अतः अब आखिरी अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 06-01-20 का पेश हो।

6/01/20 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। उनके द्वारा 16 तारीख पेशी। विपक्ष जानेब उपस्थित नहीं तलबी नहीं करायी। अतः दावा (non compliance) आदेश पालना में लापरवाही किया जाता है। पत्रावली कोर्ट फीस मुताबिक वापस हो। बाद तकमील अपील दायर हो। हुक्म सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)